

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग -2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
सोमवार 27 जनवरी, 2009/7 माघ 1930(शक)

संख्या : 10

दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए दिल्ली विधान सभा के तीन प्रतिनिधियों का निर्वाचन

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 3(3)(एफ) के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनिधित्व हेतु विधान सभा के सदस्यों के द्वारा स्वयं अपने में से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन अपेक्षित है ।

इस प्रयोजन हेतु नामांकन प्राप्त करने, उम्मीदवारी की वापसी और यदि आवश्यक हो तो निर्वाचन करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है: -

नामांकन भरने की अंतिम तिथि	नाम वापस लेने की अंतिम तिथि	निर्वाचन की तिथि, यदि आवश्यक हो तो
29 जनवरी, 2009 अप. 3.00 बजे तक (बृहस्पतिवार)	30 जनवरी, 2009 अप. 3.00 बजे तक (शुक्रवार)	2 फरवरी, 2009 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक समिति कक्ष सं०-1, पुराना सचिवालय

सिद्धार्थ राव
सचिव

- टिप्पणी : 1. आवश्यक प्रपत्र सूचना कार्यालय में उपलब्ध हैं
2. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद कोई भी नामांकन प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Tuesday 27th January, 2009/ Magha 07 1930 (Saka)

No.10

Sub: **Election of three representatives of Delhi Assembly to DDA**

Hon'ble members are informed that as per Section 3(3)(f) of the Delhi Development Act, 1957, three members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi are required to be elected for representation in DDA by means of a single transferable vote by the Members of the Legislative Assembly from amongst themselves.

For this purpose, the following schedule has been fixed for receiving the nomination, withdrawal of candidature and for holding election, if necessary: -

Last date for filing nominations	Last date for withdrawal	Date of election, if necessary
29.01.2009 upto 3.00 PM (Thursday)	30.01.2009 upto 3.00 PM (Friday)	02.02.2009 (Monday) from 11.00 A.M. to 3.00 PM in Committee Room-I Old Sectt. Delhi.

SIDDHARATH RAO
SECRETARY

Note:

1. Necessary forms are available with the Notice Office of the Assembly Secretariat.
2. No Nomination form will be entertained after the stipulated date and time.